2019 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः जी0एस0 आर0 926(ई) तारीख 29 दिसम्बर 2014 को विखण्डित करते हुए अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर0 529(ई) तारीख 26.07.2019 द्वारा समाप्त कर दिया है, द्वारा विनिश्चित मामलों और इसके समक्ष लम्बित आवेदनों को अन्तरित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः–

संक्षिप्त नाम। इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019 है।

परिभाषाएं। **2.** इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "आवेदन" से, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985(1985 का केन्द्रीय, अधिनियम संख्याक 13) की धारा 19 के अधीन किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ख)''उच्च न्यायालय'' से, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, और

(ग) "अधिकरण" से, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।

विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण।

3. (1) कोई भी वाद या मामला या अन्य कार्यवाही जिसे किसी सिविल न्यायालय द्वारा अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को लंबित है, उसी सिविल न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगा जिससे यह अन्तरित किया गया था और यदि ऐसा न्यायालय विद्यमान नहीं है तो इसके स्थान पर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित हो जाएगा और ऐसा न्यायालय इसका निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा मानो कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 5)के अधीन एक वाद था।

(2) प्रत्येक याचिका या कार्यवाही जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण को अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित है, उच्च न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगा।

(3) मामले की प्रत्येक कार्यवाही, जो मूल आवेदन के रूप में अधिकरण में दाखिल की गई थी और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया है या जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को उक्त अधिकरण के समक्ष लम्बित है, उच्च न्यायालय को अन्तरित की जाएगी।

(4) जहां उपधारा (1), (2) या (3) के अधीन कोई भी मामला या कार्यवाही अधिकरण से उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाती है तो,–

(क) ऐसे मामलों या कार्यवाहियों के अभिलेख, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय को भेज दिए जाएंगे; और

(ख) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय, ऐसे अभिलेख की प्राप्ति पर मामले का, उस प्रक्रम से जिस पर वह इस प्रकार अन्तरित किए जाने से पूर्व था या किसी पूर्वतर प्रक्रम से जैसा उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय उचित समझे निपटारा करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा।

(5) इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लम्बित अंतिम आदेश या अन्तरित आदेश के अवमान, निष्पादन या पुनर्विलोकन से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यवाही, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाएगी।

पक्षकारों को आवेदनों के अन्तरण की सूचना।

4. धारा 3 के अधीन, आवेदनों या कार्यवाहियों के अन्तरण के पश्चात्, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय यथाशीघ्र पक्षकारों या उनके काउंसेल को तद्नुसार सूचित करेगा।

(कलराज मिश्र)
राज्यपाल,

(यशंवत सिंह चोगल)
प्रधान सचिव (विधि)

शिमला :

तारीख :

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No.1 of 2019**.**

HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF DECIDED CASES AND PENDING APPLICATIONS) ORDINANCE, 2019.

Promulgated by the Governor, Himachal Pradesh in the Seventieth Year of Republic of India.

AN ORDINANCE to provide for the transfer of decided cases and pending applications before the Himachal Pradesh Administrative Tribunal which has been abolished by the Government of India vide Notification No. G.S.R 529(E) dated 26-07-2019 by rescinding the Notification No. G.S.R. 926 (E), dated 29th December, 2014.

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title — This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of decided cases and Pending Applications) Ordinance, 2019.

2. Definitions. — In this Ordinance, unless the context otherwise requires,-

(a) "application" means an application made under section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (Central Act No. 13 of 1985);

(b) "High Court" means the High Court of Himachal Pradesh; and

(c) "Tribunal" means the Himachal Pradesh Administrative Tribunal established under sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985.

3. Transfer of decided cases and pending applications.

(1) Any suit or case or other proceeding which was transferred by any Civil Court and decided by the Tribunal or pending on the date of commencement of this Ordinance before the Tribunal shall stand transferred back to the same Civil Court from which it was transferred and in case such Court is not in existence then to the Court of competent jurisdiction in its place and such court shall proceed to dispose of the same as it was a plaint under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).

(2) Every petition or proceeding which was transferred by the High Court to the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Ordinance before the Tribunal shall stand transferred back to the High Court.

(3) Every proceeding of a case which was filed as an original application in the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Ordinance before the said Tribunal shall stand transferred to the High Court.

(4) Where any case or proceeding stands transferred from the Tribunal to the High Court or Civil Court under sub-section (1), (2) or (3), –

(a) the record of such cases or proceedings shall be forwarded to the High Court or the concerned Civil Court, as the case may be; and

(b) the High Court or the Civil Court as the case may be, on receipt of such record, proceed to deal with the case from the stage which was reached before such transfer or from any earlier stage as the High Court or the Civil Court may deem fit.

(5) Every proceeding relating to contempt, execution or review of final order or interim order pending before the Tribunal on the date of commencement of this Ordinance, shall stand transferred to the High Court or the Civil Court, as the case may be.

4. Intimation of transfer of applications to the parties.

As soon as after the transfer of applications or proceedings under section 3, the High Court or the Civil Court concerned, as the case may be, shall intimate the parties or their counsel accordingly.

(KALRAJ MISHRA)
Governor.

(YASHWANT SINGH CHOGAL)
Principal Secretary (Law)

SHIMLA:

THE ,2019